Development of Agriculture and Fisheries in Goa

1904. SHRI EDUARDO FALEIRO:

SHRI S. M. KRISHNA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Goa lags behind in the development of Agriculture and fisheries;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps contemplated by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) No, Sir. According to selected economic indicators, the position of Goa is higher than All-India average.

(b) and (c). Does not arise.

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

1905 **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बोर्ड का गठन कब किया गया था और इसके वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक सदस्य किस पद पर है ;

(ख) क्या बोर्ड ने सभी नियमों और विनियमों की अवहेलना करते हुए एक संकल्प पारित किया था जिसमें उसके निदेशक की सेवावधि बढ़ाई गई थी ;

(ग) क्या शिक्षा मंत्रालय द्वारा उपरोक्त संकल्प न मंजूर किये जाने के बावजूद यह निदेशक कार्य करता रहा था ; और

(घ) लाइब्रेरी/बोर्ड प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किये हैं और क्या इस बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड का गठन 7-2-1951 को किया गया था। बोर्ड के सदस्यों को कार्यविधि उनकी नामजदगी की तारीख से तीन वर्ष की है एक सूची संलग्न है, जिसमें दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम दिए गए हैं ?

(ख) जी नहीं । दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड अपने निदेशक की कार्यावधि बढ़ाने का संकल्प पारित करने के लिए सक्षम था, किन्तु दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 18 के अनुसार पुस्तकालय के निदेशक की नियुक्ति, बोर्ड द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से भारत सरकार की यथा स्वीकृत सेवा शर्तों पर की जाती है ।

(ग) सरकार के आवश्यक निर्देश दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड को 18 नवम्बर, 1980 को भेज दिये गये थे और भूतपूर्व निदेशक ने अपने पद का कार्यभार 8 दिसम्बर, 1980 को छोड़ दिया था ।

(घ) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक स्वायत संस्था है और संस्कृति विभाग से नीति व्यापक के मामले पर परामर्श करना होता है इस समय दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ?